

DCC/2020/06
J.C.

संख्या-406/63-व0उ0-2020-34(एच)/2020

प्रेषक,

रमा रमण
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर।
- 3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

J.C.(ML)

आयुक्त एवं निदेशक

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 03 जून, 2020

विषय :- "उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेंटिंग पालिसी-2017" के अन्तर्गत अवस्थापना ब्याज उपादान/ब्याज उपादान तथा गुणवत्ता विकास उपादान के क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं पूंजी निवेश को आकर्षित कर अधिकाधिक रोजगार सृजन किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी-2017 अधिसूचना सं0-236/63-व0उ0-2018-155(एच)/2017 दिनांक 25.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित की गयी है तथा शासन के पत्र संख्या-344/63-व0उ0-2018-155(एच)/2017 दिनांक 12.02.2018 द्वारा उत्तर प्रदेश हैण्डलूम पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल, एवं गारमेंटिंग पालिसी-2017 की क्रियान्वयन योजना का शासनादेश निर्गत किया गया है। क्रियान्वयन योजना के उक्त शासनादेश दिनांक 12.02.2018 के प्रस्तर 6.4 अन्तर्गत अवस्थापना ब्याज उपादान, प्रस्तर 6.7 के अन्तर्गत ब्याज उपादान तथा प्रस्तर 6.22 अन्तर्गत गुणवत्ता विकास उपादान में वर्णित वित्तीय सुविधाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में व्यापक दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :-

1. नीति के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं का विवरण	<p>(i) ब्याज उपादान -योजना के अंतर्गत वे नई वस्त्र उद्योग इकाईयाँ तथा विस्तारीकरण, विविधीकरण करने वाली समस्त वस्त्र उद्योग इकाईयों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा TUFs/RTUFs/ATUFs पात्रता वाली प्लांट एवं मशीनरी क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत ब्याज उपादान अधिकतम 07 वर्षों तक देय है। गौतमबुद्धनगर जनपद को छोड़कर पूरे प्रदेश में प्रति वर्ष प्रति इकाई अधिकतम रु0 1.5 करोड़ तक की प्रतिपूर्ति की जायेगी। यह सीमा गौतमबुद्धनगर जनपद के लिए प्रतिवर्ष रु0 75 लाख होगी।</p> <p>(ii) अवस्थापना ब्याज उपादान -वस्त्र उद्योग इकाईयों को उनके द्वारा उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, सीवर, इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट, जल निकासी, पावर लाईन, ट्रान्सफार्मर एवं पावर फीडर की स्थापना इत्यादि के विकास हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर उपादान प्रतिपूर्ति के रूप में देय होगा। प्रतिपूर्ति 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 05 वर्षों तक, प्रति इकाई कुल रु0 1 करोड़ की सीमा तक देय होगी।</p> <p>(iii) गुणवत्ता विकास उपादान -वस्त्र अनुसंधान, वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता सुधार एवं विकास के लिये वस्त्रोद्योग संगठनों, वस्त्र इकाईयों के समूहों द्वारा टेस्टिंग लैब, क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब एवं टूलरूम स्थापित करने हेतु प्लांट, मशीनरी एवं इक्वूपमेण्ट्स पर किये जाने वाले व्यय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर उपादान प्रतिपूर्ति के रूप में देय होगा। प्रतिपूर्ति 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रति लैब/टूलरूम कुल रु0 1 करोड़ की सीमा तक देय होगी।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति-2017 के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/दिव्यांगों की न्यूनतम 75 प्रतिशत स्वामित्व वाली वस्त्र औद्योगिक इकाईयों को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के ब्याज उपादानों में 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज उपादान दिया जायेगा। यह अतिरिक्त ब्याज उपादान 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा कुल ब्याज उपादान पूर्ण देय ब्याज से अधिक नहीं होगा तथा निर्धारित सीमा के अधीन होगा।</p>
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शिविर निदेशक (ह०क०)

डायरी न० 671

दिनांक 03/06/2020

		वस्त्रोद्योग इकाईयों को ऋण की धनराशि बैंको/वित्तीय संस्था द्वारा 13 जुलाई 2014 को या इसके पश्चात स्वीकृत एवं उपलब्ध/वितरित करा दी गयी हो तथा इकाई द्वारा नीति के प्रभावी तिथि 13.07.2017 के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर लिया गया हो। उपादान हेतु 7 या 5 वर्षों की समयावधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी।
2.	आच्छादित क्षेत्र	समस्त उत्तर प्रदेश में स्थापित सभी वस्त्र इकाईयों हेतु आंचलिक क्षेत्रों के निर्धारित सीमा के अधीन
3.	परिभाषायें	उत्तर प्रदेश हैण्डलूम पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल, एवं गारमेन्टिंग पालिसी- 2017 से सम्बन्धित विभिन्न परिभाषायें निम्नवत् हैं :-
3.1	वस्त्र उद्योग इकाई	<p>“वस्त्र उद्योग” का तात्पर्य हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा रेशम की सभी उप शाखाओं जैसे-रेशम चाकी, कोया उत्पादन, किसी भी सामग्री की रीलिंग, हैण्डलूम, पावरलूम, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, टेक्सराईजिंग, डाईंग, प्रोसेसिंग, गारमेन्टिंग (गारमेन्ट उत्पादन, इम्ब्रायडरी, इम्ब्राइडर्ड फैब्रिक्स, मेडअप्स, होम टेक्सटाइल, फैशन एसेसरीज, लेदर गारमेन्ट एवं एसेसरीज) जूट उत्पाद एवं सभी प्रकार के तकनीकी वस्त्र यथा-औद्योगिक टेक्सटाइल, फर्नीचर लाइनिंग, अग्निशमन उपकरण, बुलेटप्रूफ जैकेट, वाटरप्रूफ जैकेट, पैराशूट, तथा तकनीकी वस्त्रों के उद्योग से है। उक्त के अतिरिक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की अधिसूचना संशोधन पत्र संख्या-33/63व0उ0-2020-155(एच)/2017 दिनांक 08 जनवरी 2020 द्वारा वस्त्र उत्पाद की उपशाखाओं को भी सम्मिलित किया गया है।</p> <p>तथा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ.प्र. के अधीन संबंधित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त कार्यालय में एस0एस0आई यूनिट के रूप में पंजीकृत हो।</p> <p>अथवा जिसने उद्योग निदेशालय, उ.प्र. के अधीन संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में ‘सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006’ के धारा-8 के अन्तर्गत ज्ञापन जमा कर दिया हो।</p> <p>अथवा जिसके द्वारा इस शासनादेश के जारी होने के उपरान्त भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र दाखिल किया गया हो।</p>
3.2	विस्तारीकरण	“विस्तारीकरण से तात्पर्य है कि वस्त्र इकाई द्वारा पूर्व में संचालित पूँजीगत ब्याज उपादान की कट आफ तिथि अर्थात् 30 नवम्बर 2012 के पश्चात किये गये पूँजी निवेश पर 25 प्रतिशत धनराशि से अधिक धनराशि से इकाई का विस्तारीकरण किया गया हो तथा विस्तारीकरण से इकाई की उत्पादन क्षमता में 25 प्रतिशत की वृद्धि हो”
3.3	विविधीकरण	“विविधीकरण से तात्पर्य वस्त्र इकाई द्वारा उत्पादित अपने उत्पादों में विविधता लाने के लिये उनके परिसर (RANGE) में वृद्धि हेतु किये गये पूँजी निवेश से है जिसके लिये इकाई द्वारा पूर्व में संचालित पूँजीगत ब्याज उपादान की कट आफ तिथि अर्थात् 30 नवम्बर 2012 के पश्चात किये गये पूँजी निवेश की 25 प्रतिशत धनराशि से अधिक धनराशि से विविधीकरण किया गया हो तथा विविधीकरण से इकाई की उत्पादन अथवा विपणन अथवा रोजगार सृजन क्षमता में 25 प्रतिशत की वृद्धि हो”
3.4	वित्तीय संस्था	“वित्तीय संस्था” से तात्पर्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन वित्तीय संस्थायें अथवा शिड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंक से है।
3.5	ऋण वितरण की तिथि	“ऋण वितरण की तिथि” का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन वित्तीय संस्था द्वारा इकाई को प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु ऋण धनराशि की प्रथम किस्त उपलब्ध करा दी गयी हो।
3.6	वित्तीय वर्ष	“वर्ष” का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।
3.7	प्लाण्ट एवं मशीनरी	“प्लाण्ट एवं मशीनरी” का तात्पर्य TUFs/RTUFs/ATUFs के अर्न्तगत पात्र नये प्लाण्ट एवं मशीनरी /यंत्र एवं संयंत्र से है जिसमें उपकरण, ह्यूमिडिफायर, जनरेटिंग सेट, ब्लॉयलर, कैप्टिव पॉवर प्लाण्ट, डाईज एण्ड मोल्ड्स, सौर उर्जा संयंत्र तथा इकाई के प्रकृति के अनुरूप इस प्रकार के अन्य नये यंत्र, संयंत्र से है जिनका उपयोग उत्पादन हेतु सहायक हो। पुराने यंत्र, संयंत्र इत्यादि प्लाण्ट एवं मशीनरी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।
3.8	प्रभावी तिथि	“प्रभावी अवधि” का तात्पर्य दिनांक 13.07.2017 से नीति की अवधि अथवा शासनादेश में राज्य सरकार द्वारा संशोधन अथवा निर्गत की तिथि तक की अवधि से है।

4. वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

(i) अनुमन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने हेतु इकाई को वित्तीय संस्था से सावधि ऋण प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात् इकाई द्वारा ब्याज उपादान/प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय के अधीन सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा। परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त प्राप्त आवेदन पत्र का भौतिक एवं वित्तीय सत्यापन कराकर परिक्षेत्र स्तर पर गठित कमेटी के अनुमोदनोपरान्त प्रस्ताव अप्रैजल नोट के साथ संस्तुति सहित निदेशालय को प्रेषित करेंगे।

(ii) वित्तीय सुविधा का लाभ उन्हीं वस्त्र इकाईयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्लाण्ट एवं मशीनरी पर किसी प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो। इस आशय का शपथ पत्र इकाई द्वारा दिया जायेगा।

(iii) परिक्षेत्रीय स्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना :-

(1) सम्बन्धित प्रबन्धक, निट्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर अथवा सम्बन्धित सहायक निदेशक वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय अथवा वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रभारी अधिकारी -सदस्य

(2) परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग- संयोजक

(iv) परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्तों के परीक्षण एवं संस्तुति के पश्चात उनकी संस्तुति सहित प्राप्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी की वस्त्र इकाईयों के दावा प्रस्तावों का मूल्यांकन/परीक्षण/अनुमोदन निम्नानुसार गठित राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा।

राज्य स्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना :-

1	आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर	अध्यक्ष
2	आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ०प्र० द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में अपर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग	सदस्य
3	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम लि०, कानपुर	सदस्य
4	प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, कानपुर	सदस्य
5	निदेशक, उ०प्र० वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	सदस्य
6	प्रबन्धक, निट्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर, कानपुर	
7	वित्त नियन्त्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर	सदस्य
8	संयुक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ०प्र०।	सदस्य
9	योजनाधिकारी, वस्त्र नीति क्रियान्वयन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ०प्र०।	संयोजक सदस्य

(v) राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा प्रस्तावों के मूल्यांकन/परीक्षण/अनुमोदन के बाद बैठक की कार्यवृत्त के साथ अनुमोदित प्रस्तावों के सापेक्ष धनराशि की शासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जायेंगे।

(vi) वृहद, मेगा, एवं सुपर मेगा श्रेणी की वस्त्रोद्योग इकाईयों, टेक्सटाइल पार्क, एवं औद्योगिक आस्थानों हेतु नीति अर्न्तगत अनुमन्य सुविधाओं के शासकीय स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव वस्त्रोद्योग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में शासन स्तर पर गठित शासकीय स्वीकृति समिति को सन्दर्भित किया जायेगा।

प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन स्तर पर गठित शासकीय स्वीकृति समिति की सदस्य संरचना निम्नवत होगी-

- (1) प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ०प्र० शासन - अध्यक्ष
- (2) प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन - सदस्य
- (3) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन - सदस्य
- (4) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन - सदस्य
- (5) प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन - सदस्य
- (6) सम्बन्धित विभाग/प्राधिकरण/संस्था के प्रमुख सचिव जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है - सदस्य
- (7) आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, संयोजक - संयोजक
- (8) पी०एम०ए० (यदि नामित हो) के पदाधिकारी, सहसंयोजक - सहसंयोजक

<p>5. उपादान के अन्तर्गत स्वीकृति की पात्रता</p>	<p>(1) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के लागू होने की तिथि 13.07.2017 से 03 वर्ष पूर्व अर्थात् दिनांक 13.07.2014 को या उसके पश्चात बैंक ऋण स्वीकृत किया गया हो तथा प्लान्ट एवं मशीनरी स्थापित कर इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 13.07.2017 के बाद किया गया हो, वही इकाईयाँ पात्र होंगी।</p> <p>(2) इकाई द्वारा शासनादेश संख्या 344/63-व0उ0-2018-155(एच)/2017 दिनांक 12.02.2018 में संलग्न प्रारूप के अनुसार सूक्ष्म/लघु/मध्यम/वृहद वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों के लिए प्रारूप-‘1’ एवं प्रारूप-‘2’, मेगा/सुपर मेगा वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों के लिए प्रारूप-‘3’ एवं प्रारूप-‘4’, टेक्सटाइल पार्क/वस्त्र औद्योगिक आस्थान के लिए प्रारूप-‘6’ एवं प्रारूप-‘7’ तथा वस्त्र औद्योगिक इकाइयों के समूह/संघों के लिये गुणवत्ता विकास उपादान हेतु प्रारूप-‘8’ पर सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो।</p> <p>(3) इकाई के पक्ष में बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु दिनांक 13.07.2014 को या इसके पश्चात् सावधि ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया गया हो तथा वित्तीय वर्ष/त्रैमास में देय ब्याज का भुगतान इकाई द्वारा संबन्धित बैंक/वित्तीय संस्था को कर दिया गया हो।</p> <p>(4) ब्याज उपादान/अवस्थापना ब्याज उपादान/गुणवत्ता विकास उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम आवेदन के पश्चातवर्ती वार्षिक आवेदन सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के कार्यालय में अगले वित्तीय वर्ष की 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत कर दिया गया हो। 31 दिसम्बर के उपरान्त प्रस्तुत किये गये दावा आवेदन पत्र पर पिछले वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए ब्याज उपादान/अवस्थापना ब्याज उपादान/गुणवत्ता विकास उपादान अनुमन्य नहीं होगा।</p> <p>(5) जो वस्त्र इकाईयाँ ब्याज उपादान का दावा प्रतिपूर्ति त्रैमासिक प्राप्त करना चाहती हैं, वे इकाईयाँ प्रथम वर्ष के पश्चातवर्ती त्रैमासिक आवेदन प्रथम त्रैमास (अप्रैल, मई, जून) का 31 जुलाई तक, द्वितीय त्रैमास-(जुलाई, अगस्त, सितम्बर) का 31 अक्टूबर, तृतीय त्रैमास-(अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर) का 31 जनवरी तक तथा चतुर्थ त्रैमास-(जनवरी, फरवरी, मार्च) का 30 अप्रैल तक सहायक आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से प्रस्तुत किये गये त्रैमासिक दावा पर विचार नहीं किया जायेगा।</p>
<p>6. उपादान के स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया</p>	<p>(1) अनुमन्य वित्तीय लाभ प्राप्ति हेतु इच्छुक इकाई द्वारा सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त को शासनादेश संख्या 344/63-व0उ0-2018-155(एच)/2017 दिनांक 12.02.2018 में संलग्न प्रारूप के अनुसार सूक्ष्म/लघु/मध्यम/वृहद वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों के लिए प्रारूप-‘1’ एवं प्रारूप-‘2’, मेगा/सुपर मेगा वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों के लिए प्रारूप-‘3’ एवं प्रारूप-‘4’, टेक्सटाइल पार्क/वस्त्र औद्योगिक आस्थान के लिए प्रारूप-‘6’ एवं प्रारूप-‘7’ तथा वस्त्र औद्योगिक इकाइयों के समूह/संघों के लिये गुणवत्ता विकास उपादान हेतु प्रारूप-‘8’ पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ इकाई द्वारा संबन्धित बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु वितरित ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये ब्याज का बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>(2) परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त द्वारा आवेदन-पत्र एवं संलग्न वॉछित प्रपत्रों का वित्तीय एवं भौतिक सत्यापन कर परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त अपनी अप्रैजल नोट के साथ संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।</p> <p>(3) निदेशालय स्तर पर मूल्यांकन/परीक्षण के उपरान्त राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा मूल्यांकन/परीक्षण/अनुमोदन के उपरान्त उचित पाये गये प्रस्ताव के सापेक्ष धनराशि स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।</p> <p>(4) शासन स्तर से स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरान्त इकाई द्वारा नान-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्बन्धित सहायक आयुक्त के साथ संपादित कराया जायेगा।</p> <p>(5) पश्चातवर्ती वर्षों के दावा क्लेम सत्यापन हेतु पी0एम0ए0 के पास नहीं भेजे जायेंगे। राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदित करारक शासन से धनराशि की स्वीकृति आदेश निर्गत कराया जायेगा।</p> <p>(6) जो वस्त्र इकाईयाँ त्रैमासिक दावा धनराशि की माँग प्रस्तुत करेंगी, उन इकाईयाँ के प्रथम त्रैमास के दावों का अनुमोदन राज्य स्तरीय समिति से प्राप्त किया जायेगा।) पश्चातवर्ती त्रैमास के दावों के अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय समिति की आवश्यकता नहीं होगी। दावा धनराशि का आगणन कर निदेशालय स्तर से धनराशि निर्गत करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।</p>

7.	भुगतान की प्रक्रिया	<p>(1) निदेशालय द्वारा स्वीकृत ब्याज उपादान/ अवस्थापना ब्याज उपादान/गुणवत्ता विकास उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के अन्तर्गत बजट प्राविधान कराया जायेगा।</p> <p>(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष निदेशालय स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों को राज्य स्तरीय कमेटी के अनुमोदनोपरान्त अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष शासन द्वारा इकाईयों हेतु निदेशालय के पक्ष में स्वीकृति निर्गत की जायेगी।</p> <p>(3) शासन द्वारा धनराशि की स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त से इकाई का खाता, आई0एफ0एस0सी0 कोड, अनुबन्ध पत्र मंगाकर प्रतिपूर्ति की धनराशि इकाई के खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से सीधे भेजी जायेगी।</p> <p>(4) इकाई द्वारा अपेक्षित मूलधन एवं ब्याज की किश्तों का भुगतान संबंधित वित्तीय संस्था को उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर ही करना आवश्यक होगा। यदि किन्हीं कारणों से किसी भुगतान में इकाई डिफाल्टर हो जाती है तो उस किश्त के साथ दिये गये ब्याज पर कोई छूट (उपादान) देय नहीं होगा परन्तु यह अवधि पात्रता अवधि में सम्मिलित मानी जायेगी।</p> <p><u>(5) त्रैमासिक दावा प्रस्तुत करने वाली इकाईयों के वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास के दावा धनराशि का अनुमोदन राज्य स्तरीय समिति से कराया जायेगा। पश्चातवर्ती त्रैमास के दावा धनराशि के अनुमोदन राज्य स्तरीय समिति से कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।</u></p>
8.	ब्याज उपादान/ अवस्थापना ब्याज उपादान/गुणवत्ता विकास उपादान के लेखों का रख रखाव	परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त एवं निदेशालय द्वारा ब्याज उपादान/ अवस्थापना ब्याज उपादान/गुणवत्ता विकास उपादान में वितरित धनराशि का लेखा एवं अन्य प्रपत्रों का संपूर्ण विवरण जनपदवार इकाईवार परिक्षेत्रवार रखा जायेगा।
9.	बजट की व्यवस्था	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष में अनुमानित माँग के अनुरूप शासन से बजट प्राविधान कराया जायेगा। जिसके आधार पर शासन द्वारा समय-समय पर निदेशालय द्वारा प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति निर्गत की जायेगी।
10.	स्वीकृत ब्याज उपादान/ अवस्थापना ब्याज उपादान/गुणवत्ता विकास उपादान सुविधा का निरस्तीकरण/वसूली	<p>निम्नलिखित परिस्थितियों के घटित होने की दशा में संबंधित इकाईयों को ब्याज उपादान/ अवस्थापना ब्याज उपादान/गुणवत्ता विकास उपादान देय नहीं होगा एवं इकाई को उपादान वितरित होने की दशा में वितरित धनराशि भू-राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा।</p> <p>(1) जब कोई वस्त्रोद्योग इकाई निर्धारित विवरण व सूचना, जो उससे माँगी जाए, देने में असफल रहे।</p> <p>(2) जब किसी वस्त्रोद्योग इकाई द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अथवा असत्य सूचना देकर ब्याज उपादान/अवस्थापना ब्याज उपादान/गुणवत्ता विकास उपादान प्राप्त किया गया हो।</p> <p>(3) जब किसी वस्त्रोद्योग इकाई द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 7 या 5 क्रमागत वर्षों की अवधि के अन्तर्गत उत्पादन कार्य स्थाई रूप से (छः माह से अधिक) बन्द कर दिया गया हो अथवा दैवीय आपदा के कारण उत्पादन बन्द कर दिया गया हो, साथ ही दोनों ही अवस्थाओं में इकाई द्वारा संबंधित घटना/व्यवधान उत्पन्न होने के एक माह के अन्दर ही संबंधित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय को लिखित रूप से सूचना प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में प्राधिकृत संस्था हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का निर्णय सर्वमान्य होगा।</p>
11.	इकाईयों द्वारा सूचना प्रस्तुत करना	योजनावधि में इकाईयों द्वारा प्राधिकृत संस्था/निदेशालय स्तर से माँगी गयी सूचना उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। वस्त्रोद्योग इकाईयों द्वारा प्रति वर्ष उनके द्वारा किये गये उत्पादन आदि का विवरण एवं आडिटेड वार्षिक लेखा/वैलेन्स शीट संबंधित प्राधिकृत संस्था/निदेशालय को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
12.	अन्य	<p>(1) नीति के अन्तर्गत अनुमन्य ब्याज उपादान/ अवस्थापना ब्याज उपादान/गुणवत्ता विकास उपादान क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर ऐसे मामलों प्राधिकृत संस्था/निदेशालय के मुख्यालय स्तर पर संदर्भित किये जायेंगे।</p> <p>(2) विवाद के अनिस्तारित रहने पर प्रकरण प्रमुख सचिव, वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित किया जायेगा।</p> <p>(3) शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने, दिशा निर्देश में संशोधन</p>

	<p>करने का अथवा अन्य नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार उसी स्तर पर होगा जिस स्तर से दिशा निर्देश अनुमोदित किये गये हैं।</p> <p>(4) नीति के अन्तर्गत अनुमन्य समस्त लाभ केन्द्र सरकार द्वारा संचालित TUFs/RTUFs/ATUFs योजना में देय लाभ के अतिरिक्त देय होंगे।</p> <p>(5) पूर्व वस्त्र नीति 2014 अन्तर्गत संचालित पूँजीगत ब्याज उपादान योजना में लाभ पा रही वस्त्र इकाइयों को पूर्व योजना के अनुसार निर्धारित अवधि तक लाभ जारी रहेंगे।</p> <p>(6) विवाद होने की दशा में जिला न्यायालय कानपुर नगर में वाद दायर किया जायेगा।</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- उपरोक्त अवस्थापना ब्याज उपादान/ब्याज उपादान तथा गुणवत्ता विकास उपादान में वर्णित वित्तीय सुविधाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश/प्रक्रिया के निर्धारण संबंधी यह व्यवस्थाएं तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

40

(रमा रमण)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-406(1)/63-व0उ0-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, रेशम निदेशालय, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीडा, कानपुर।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
- 9- आयुक्त स्टाम्प/महानिदेशक निबंधक, उत्तर प्रदेश।
- 10- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 11- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/गीडा/बीडा/सीडा/लीडा।
- 12- समस्त परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग।
- 13- गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
अनु सचिव।